न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 110/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बांरा
दायरा दिनांक 15.9.2020
किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

बृजराज सिंह पुत्र चैन सिंह जाति राजपूत निवासी बमोरीकला तहसील मांगरोल जिला बांरा।

..... अपीलार्थी

बनाम

दी स्टेट ऑफ राजस्थान ।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री मोहम्मद युनूस अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

दिनांक 21.12.2020

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रकरण संख्य 08/2018 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान राजाराम बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 08.8.2019 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि नायब तहसीलदार, मांगरोल जिला बांरा ने अपीलांट को ग्राम बमेरीकलां तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 1421 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 576/– रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बांरा (प्रथम अपीलेट न्यायालय) मे अपील प्रस्तुत की गई जिसे प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.08.2019 से खारिज किया गया।

3 प्रथम अपीलेट अधिकारी, जिला कलक्टर बांरा द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 08.08.2019 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा मे द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किया था इस आधार पर परीक्षण न्यायालय का आदेश काबिल निरस्तनीय था जिस पर गौर किये बिना ही प्रथम अपीलेट अधिकारी द्वारा जेरअपील निर्णय प्रदान करने मे त्रुटि की है। उक्त आराजी पर अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है ना ही उक्त आराजी से पूर्व मे अपीलांट को बेदखल किया गया है तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसा कोई साक्ष्य है, जिससे

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना साबित हो। इसके उपरांत भी गलत रिपोर्ट को आधार मानकर परीक्षण न्यायालय ने आदेश पारित किया था जिसको प्रथम अपीलेट अधिकारी ने बहाल रखने मे त्रुटि की है। अपीलांट ने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है तथा तावान जमा करवा दिया है तथा भविष्य मे भी उक्त आराजी कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करते हुये अपीलांट की सजा का आदेश निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

4 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, का अवलोकन कर बहस एडमिशन एवं बहस अतिंम विद्वान अभिभाषक अपीलांट तथा न्यायालय हाजा मे उपस्थित राजकीय अभिभाषक, रेस्पो0 सुनी गई तथा बहस पर मनन किया। अपील न्यायालय के श्रृवणाधिकार योग्य होने से विचारार्थ ग्रहण की जाकर दर्ज रजिस्टर की जाती है।

5 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि नायब तहसीलदार मांगरोल द्वारा उक्त वर्णित भूमि के संबध मे अपीलार्थी को पश्चातवर्ती होने का नोटिस नही दिया गया तथा ना ही पत्रावली मे उक्त वर्णित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के साक्ष्य सबूत है। अपीलार्थी ने उक्त वर्णित आराजी पर से कब्जा छोड दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किया था इस आधार पर परीक्षण न्यायालय का आदेश काबिल निरस्तनीय था जिस पर गौर किये बिना ही प्रथम अपीलेट अधिकारी द्वारा जेरअपील निर्णय प्रदान करने मे त्रुटि की है। अतः अपीलाधीन हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मांगरोल व जिला कलक्टर बांरा निरस्त किया जावे।

6 रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कथन किया कि नायब तहसीलदार, मांगरोल जिला बांरा ने अपीलांट को ग्राम बमेरीकलां तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 1421 रकबा 0.48 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 576/– रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। नायब तह0 मांगरोल का निर्णय न्यायोचित है। क्योंकि वांदग्रस्त आराजी चारागाह भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नही है। प्रथम अपीलेट अधिकारी ने अपील प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपील को जेरअपील निर्णय दिनांक 8.8.2019 से खारिज किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अपील खारिज की जाने योग्य है।

7 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय चारागाह भूमि है, जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों तथा बहस के दौरान स्वयं यह कथन किया है कि उसने उक्त वर्णित भूमि पर से कब्जा छोड दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी है। इससे अपीलांट का उक्त वर्णित चारागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की पुष्टि होती है। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व मे मिसल संख्या 17/16 निर्णय दिनांक 27.10.2016 से उक्त आराजी से अपीलार्थी को बेदखल किया जाना प्रमाणित है इससे अपीलांट का उक्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना स्पष्ट हो

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

जाता है। अतः अपीलार्थी का यह कथन कि उसको नायब तहसीलदार मांगरोल द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का नोटिस नही दिया विश्वसनीय नही माना जा सकता। क्योंकि अपील मिमो मे स्वयं ने अर्थदण्ड की राशि जमा कराना स्वीकार किया है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि अपीलांट वक्त निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार मांगरोल मे उपस्थित रहा है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे भी अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन मे कोई आधार अभिलेख प्रस्तुत नही किये है। प्रथम अपीलेट अधिकारी जिला कलक्टर बांरा ने प्रकरण मे अपीलांट को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यों का समुचित परीक्षण करे जेरअपील निर्णय दिनांक 08.08.2019 से अपील अपीलांट खारिज कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.10.2016 को यथा रखा है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

8 परिणामस्वप, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रकरण संख्या–08/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 08.08.2019 यथावत रखा जाता है।

9 निर्णय आज दिनांक 21.12..2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा